बजट सम्बन्धी मामला
समयबद्ध

संख्याः फिन–ए–सी (6)–2/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–171002, 07-10- 2020

विषयः **राज्य योजना और गैर योजना व्यय के विलयन (Merger) अनुसार वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों को समय पर वित्त विभाग को भेजने बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021–2022 से योजना और गैर योजना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब बजट का वर्गीकरण केवल राजस्व एवं पूंजी भाग में रहेगा।

2. बजट अनुमान तैयार करने का कार्य वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह में शुरू कर दिया जाता है इसी सदंर्भ में, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 अध्याय–3 "बजट निरूपण और कार्यान्वयन" के नियम 28 (3), 30 और 31 (4) के अनुरूप इन अनुमानों को तैयार करने के लिए विवरणिकाएं तैयार करने हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध है **जिसमें योजना एवं गैर योजना व्यय के वर्गीकरण का विलयन (Merger) समझा जाए।**

3. विकासात्मक योजनाओं के लिए योजना विभाग नवम्बर माह में विभिन्न विभागों के साथ बैठकों का आयोजन करेगा तथा तदोपरांत विभागीय सीमा निर्धारित की जाएगी। तदानुसार विभाग निर्धारित प्रपत्र पर वर्ष 2021–2022 के बजट प्रस्ताव दिनांक 30.11.2020 तक इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4. इसी प्रकार पदों की अनुसूची (Schedules) भी अब स्थाई और अस्थाई ही दर्शाए जाएगें। इन पदों को नव व्यय अनुसूची में शामिल करने के लिए पदों का नाम, वेतनमान तथा उनके सृजन सम्बन्धी लेखा शीर्षो का स्कीमवार विवरण दिया जाना आवश्यक है। जिन पदों को स्थायीकरण कर दिया गया है, उनका प्रावधान नव व्यय अनुसूची में न मांगकर भाग–1 में मांगा जाना चाहिए तथा स्थायीकरण आदेशों की मूल/छाया प्रतियां भी आवश्यक रूप से इस विभाग के अभिलेखार्थ आवश्यक रूप से सलंग्न की जानी चाहिए।

5. नौमिनल रोल "वेतन" मद में वास्तविक प्रावधान करने के लिए आवश्यक है तथा पदों से सम्बन्धित सूचना के लिए उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षों का होता है क्योंकि भविष्य में पदों से सम्बन्धित सूचना/विवरण के लिए बजट दस्तावेज ही प्रमाणित दस्तावेज होता है। नौमिनल रोल में पदों की संख्या के साथ–साथ पदों का नाम तथा उनके सृजन सम्बन्धी मुख्य शीर्ष, उनका मूल वेतन, पदों का उद्धरण खाली पदों सहित सही व अपेक्षित व्यय के साथ दर्शाया जाना चाहिए। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विभागाध्यक्ष अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित बजट प्रस्ताव के साथ स्थाई/अस्थाई स्वीकृत पदों का विवरण सत्यापित करके उपलब्ध करवाएं।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र वित्त विभाग की वेबसाईट https://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt%20id=1 के लिंक downloads पर उपलब्ध है।

कृपया मामले को प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाषः 0177–2628506

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला–171002, 07-10-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त जनजातीय विभाग, हि0प्र0, शिमला–171002 को इस अनुरोध के साथ कि अनुदान मांग संख्या–31 (जनजातीय विकास) की नव व्यय अनुसूची में भाग–।। के बजट अनुमानों (योजना और गैर योजना) को संग्रहित करके इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से अक्षम का सशक्तिकरण विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को इस अनुरोध के साथ कि अनुदान मांग संख्या–32 (अनुसूचित जाति उप–योजना) की नव व्यय अनुसूची में भाग–।। के बजट अनुमान (योजना) संग्रहित करके इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

3. वरिष्ठ उप–महालेखाकार (ले0व ह0), हि0प्र0 शिमला–03 को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य शीर्ष 2049 तथा 2071 के अन्तर्गत बजट अनुमान विस्तृत विवरण सहित इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजने की कृपा करें।

4. सम्बन्धित सहायक, वित्त–ए अनुभाग और वित्त–जी अनुभाग, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि निर्धारित समयावधि पर विभागों से बजट अनुमान प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में वह सम्बन्धित विभागों से अपने स्तर पर भी सम्पर्क/पत्राचार कर सूचना मंगवाना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाषः 0177–2628506